

प्रेस नोट- दिनांक- 22.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 25000/- रुपये का ईनामिया गैंगस्टर का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

25000/- रुपये का ईनामिया गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी आरक्षी संगमलाल थाना कोतवाली नगर द्वारा की जा रही थी आरक्षी संगमलाल के अथक प्रयास से गैंगस्टर हिमांशु पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया

आरक्षी संगमलाल के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा आरक्षी संगमलाल को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया

लूट / जान से मारने की धमकी / चोरी /आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अपराध में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत पाण्डेय निवासी ग्राम रूपापुर पर गम्भीर धाराओं में थाना कोतवाली देहात व कोतवाली नगर में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कुसमी रेलवे फाटक के पास से गैंगस्टर के 01 ईनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

एसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार उपाध्याय थाना कोतवाली देहात के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पर दिनांक 26.07.2024 को मु0अ0सं0 259/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम (गैंग लीडर) 1- संदीप सिंह पुत्र अवधेश सिंह नि0 बेलखरान थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्यों) 2- हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत

पाण्डेय नि०ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 3- संदीप सोनी पुत्र चंद्रिका प्रसाद सोनी नि० टककरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 22.09.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर निरीक्षक दौलत यादव मय हमराह उ०नि० छोटेलाल, का० सुधीर कुमार, चालक का० ओमप्रकाश यादव व स्वाट टीम प्रभारी उ०नि० सुनील कुमार यादव, का० अरविन्द दुबे, हे०का० मोहित यादव, का० आशुतोष यादव, का० जागीर सिंह, का० राजेन्द्र, का० श्रीराम सिंह संयुक्त टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान कुसमी रेलवे फाटक के पास से गैंगस्टर हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत पाण्डेय नि०ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर हिमांशु पाण्डेय व इसके गैंग के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.03.2024 को सायं काल समय लगभग 08 बजे के करीब मो० इमरान तथा अपने मित्र साहिद के साथ आईस्क्रीम बेचकर आ रहे थे को गाली गलौज देते हुए तमंचा सटाकर दोनो का मोबाइल फोन व रुपये लूट लिये थे जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० 93/2024 धारा 341, 504, 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचनोपरांत संकिलत साक्ष्यों एव अन्य बयानो के आधार पर अभियुक्तगण संदीप सिंह पुत्र अवधेश सिंह संदीप सिंह पुत्र अवधेश सिंह नि० बेलखरान थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत पाण्डेय नि०ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ व संदीप सोनी पुत्र चंद्रिका प्रसाद सोनी नि० टककरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा 341, 504, 392 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। गैंग लीडर इनके सदस्यों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत पाण्डेय निवासी ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास -

हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकांत पाण्डेय निवासी ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01.मु०अ०सं० 610/2017 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02.मु०अ०सं० 93/2024 धारा 341, 392, 411, 504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

03.मु०अ०सं० 94/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 259/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम1986, थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:-निरीक्षक दौलत यादव मय हमराह उ0नि0 छोटेलाल, का0 संधीर कुमार, चालक का0 ओमप्रकाश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

स्वाट टीम- प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, का0 अरविन्द दुबे, हे0का0 मोहित यादव, का0 आशुतोष यादव, का0 जागीर सिंह, का0 राजेन्द्र, का0 श्रीराम सिंह ।

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

एसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी आरक्षी अनिल दक्ष थाना कंधई व आरक्षी गिरजा शंकर थाना उदयपुर द्वारा की जा रही थी आरक्षी अनिल दक्ष व आरक्षी गिरजा शंकर के अथक प्रयास से गैंगस्टर सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया

आरक्षी अनिल दक्ष व आरक्षी गिरजा शंकर के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा आरक्षी अनिल दक्ष व आरक्षी गिरजा शंकर को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया

लूट/ दुष्कर्म / मारपीट / जान से मारने की धमकी / हत्या का प्रयास / गोवध अधि0/ बलवा / सरकारी कार्य में बाधा डालने / आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ पर गम्भीर धाराओं में थाना उदयपुर, थाना लालगंज व थाना कंधई में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत तिवारीपुर बगिया के पास से गैंगस्टर के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित

किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित थाना कंधई के नेतृत्व में थाना कंधई पर दिनांक 21.09.2024 को मु0अ0सं0 243/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम (गैंग लीडर) 1- (गैंगलीडर) पवन कुमार सरोज पुत्र स्व0 बाबूलाल सरोज निवासी पूरेतेजपुर थाना थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्यों) 2- गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़, 3- गैंगस्टर सहबान उर्फ सहबाज उर्फ अरबाज उर्फ सब्बे निवासी धम्मन उर्फ आशिक ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना कंधई पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 22.09.2024 को क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना कंधई निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित मय हमराह का0 रामजी, का0 अनिल दक्ष, चालक का0 जगजीत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान तिवारीपुर बगिया के पास से गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को 04 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0- 244/24 धारा 4/5विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान व इसके गैंग के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.04.2024 को रात के समय लगभग 1.30 बजे के करीब रमेश वर्मा तथा अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल से आ रहे थे को गाली गलौज देते हुए रमेश वर्मा को बोलेरो गाडी में बैठाकर गये व गले का लोकिट व पैर का पायल लूट लिये थे जिसके संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 102/2024 धारा 323/376डी/367/394/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचनोपरांत संकिलत साक्ष्यों एव अन्य बयानो के आधार पर अभियुक्तगण पवन कुमार सरोज पुत्र स्व0 बाबूलाल सरोज निवासी पूरेतेजपुर थाना थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़, सहबान उर्फ सहबाज उर्फ अरबाज उर्फ सब्बे निवासी धम्मन उर्फ आशिक ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा 323/376डी/367/394/411 भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। गैंग लीडर व इनके सदस्यों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0स0 62/12 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
 12. मु0अ0स0 100/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 3. मु0अ0स0 99/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 4. मु0अ0स0 214/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 5. मु0अ0स0 01/16 धारा 110 जी सीआरपीसी उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ । 16. मु0अ0स0 179/16 धारा 323/506 भादवि उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 7. मु0अ0स0 184/18 धारा 147/148/149/307/323/332/336/353/504/506 भादवि उदयपुर प्रता0
 8. मु0अ0स0 115/19 धारा 411 भादवि उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 9. मु0अ0स0 824/21 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
 10. मु0अ0स0 29/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 11. मु0अ0स0 163/23 धारा 323/504/506 भादवि उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 12. मु0अ0स0 102/24 धारा 323/376डी/367/394/411 भादवि कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।
 13. मु0अ0स0 127/24 धारा 115(2)/191(2)/333/351(2) बीएनएस उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 14. मु0अ0स0 129/24 धारा 115/333/351(2)/352 बीएनएस उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
 15. मु0अ0सं0 243/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अधि0 थाना कन्धई , जनपद प्रतापगढ़ ।
 16. मु0अ0स0सं0 244/24 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।
- पुलिस टीम:- निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित मय हमराह का0 रामजी, का0 अनिल दक्ष, चालक का0 जगजीत सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2024, जनपद प्रतापगढ़-

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी ।

वांछित व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाया गया अभियान ।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं एसपी (पूर्वी/पश्चिमी) के नेतृत्व में अभियान के तहत कुल 25 वारण्टी व कुल 09 वांछित व कुल 02 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार ।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं एसपी (पूर्वी/पश्चिमी) के नेतृत्व में अभियान के तहत एक दिन में कुल 36 गिरफ्तारियाँ की गईं (25 वारंटी व कुल 09 वांछित व 02 गैंगस्टर गिरफ्तार)।

थाना अन्तू से 03, थाना कन्धई से 03, थाना आसपुर देवसरा से 01, थाना रानीगंज 01, थाना फतनपुर 02, थाना सांगीपुर 01, थाना लीलापुर से 01, थाना लालगंज से 03, थाना बाघराय से 01, थाना जेठवारा से 07, थाना हथिगवां से 01, नवाबगंज से 01 वारण्टी, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 25 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

थाना कोतवाली देहात से 07, थाना पट्टी से 01 व थाना लीलापुर से 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

थाना कोतवाली नगर से गैंगस्टर अभियुक्त 25000/- रुपये का इनामियां व थाना कन्धई से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रतापगढ़ पुलिस दे रही दबिश

प्रतापगढ़।

जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियोगों में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के नेतृत्व एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कुल 25 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये गये अभियान के तहत, थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों के कुशल नेतृत्व में थाना अन्तू से 03, थाना कन्धई से 03, थाना आसपुर देवसरा से 01, थाना रानीगंज 01, थाना फतनपुर 02, थाना सांगीपुर 01, थाना लीलापुर से 01, थाना लालगंज से 03, थाना बाघराय से 01, थाना जेठवारा से 07, थाना हथिगवां से 01, नवाबगंज से 01 वारण्टी, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 25 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का थानावार विवरण-

थाना अन्तू से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री दिनेश राय द्वारा सम्बन्धित परिवाद संख्या 817/21 अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट थाना अन्तू से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- राहुल कुमार तिवारी पुत्र छविश्याम तिवारी निवासी ग्राम पूरे भईया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0 1766/19 अ0सं0 83/18 अंतर्गत धारा 498ए, 323, 506 भादवि थाना अन्तू से संबंधित 02 नफर वारण्टी-

1- लवकुश उर्फ जितेन्द्र पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम पूरे अन्ती थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

2- फूलचन्द्र पुत्र जगदेव शर्मा निवासी ग्राम पूरे अन्ती थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 397/13 अ0सं0 48/13 अंतर्गत धारा 392, 411 भादवि थाना हथिगवां से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- राजू उर्फ फूलचन्द्र पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम महेवा मोहनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री आदित्य पाण्डेय द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 63/06 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भादवि थाना नवाबगंज से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- जगदीश प्रसाद पुत्र नागौती प्रसाद निवासी ग्राम रामनगर बरियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री मुसाफिर यादव द्वारा सम्बन्धित एसटी न0 171/18 अ0सं0 215/16 अंतर्गत धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- विक्रम वर्मा पुत्र स्व0 अयोध्या प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम सिताली का पुरवा कोठा नेवढिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री अजय सिंह द्वारा सम्बन्धित परिवाद संख्या 321/21 अंतर्गत धारा 323, 504, 427, 452 भादवि थाना लालगंज से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- ननके माली पुत्र खेलावन निवासी ग्राम डीह मेंहदी बाबूगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 11/19 धारा 323, 504, 506, 452, 427 भादवि थाना लालगंज से सम्बन्धित 03 वारण्टी-

01- संदीप धुरिया पुत्र लल्ला धुरिया निवासी ग्राम दरिहट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

02- लल्ला धुरिया पुत्र भवानी प्रसाद धुरिया निवासी ग्राम दरिहट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

03- नान्हू धुरिया पुत्र भवानी प्रसाद धुरिया निवासी ग्राम दरिहट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री अमित द्विवेदी द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 206/09 मु0अ0सं0 363/97 अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना बाघराय से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- शीतल पुत्र जगेशर सरोज निवासी ग्राम सुदीन का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा से 07 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 636/2011 मु0अ0सं0 238/2010 अंतर्गत धारा 379, 427, 504, 506 भादवि से संबंधित 02 नफर वारण्टी-

1- रामआसरे पुत्र कड़ेदीन निवासी ग्राम बलीपुर परसन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

2- हंसादेवी पत्नी रामआसरे निवासी ग्राम बलीपुर परसन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० श्री हेमन्त यादव द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 1532/2001 मु०अ०सं० 40/2000 अंतर्गत धारा 357, 480, 411 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- ननकऊ उर्फ आदित्य सिंह पुत्र समुर बहादुर सिंह निवासी ग्राम बेसान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० श्री वारिज कसेरा द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 1003/2001 अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 506 भादवि से संबंधित 02 नफर वारण्टी-

1- नाटा पुत्र रामसूचित निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2- जगलाल पुत्र मोहन निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० श्री अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 801/2001 मु०अ०सं० 482/2020 अंतर्गत धारा 548 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- बलराम पुत्र जगन्नाथ ओझा निवासी ग्राम सराय नाहर राय थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० श्री बंशीधर राय द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 5605/2023 मु०अ०सं० 482/2020 अंतर्गत धारा 323, 506, 498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- इरफान पुत्र असगर अली निवासी ग्राम कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई से 03 वारण्टी गिरफ्तार

उ०नि० श्री भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा सम्बन्धित केस नं० 2431/09 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना कन्धई से सम्बन्धित 03 वारण्टी-

01- सकीर पुत्र बसीर नि० पूरेदेवजनी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

02- आबिद अली पुत्र जमील नि० पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

03- नसीम पुत्र कयूम नि० पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री राजन कुमार बिन्द मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु० नं० 10838/2021 धारा 323, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त-

1- विनोद पुत्र रज्जू कहार निवासी ग्राम हरी का पूरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री रोहित कुमार मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 291ए/95 अंतर्गत धारा 325, 323, 504 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- राम सजीवन पुत्र रामसुमेर निवासी ग्राम देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री दिलीप कुमार वर्मा द्वारा सम्बन्धित एसपीएलटी नं0 726/2021 अ0सं0 58/2021 अंतर्गत धारा 323, 504 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 3(1)द, (1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 02 नफर वारण्टी-

1- अवधेश कुमार पुत्र नान्हराम निवासी ग्राम परसामऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- बृजेश उर्फ बच्चू लाल पुत्र अवधेश कुमार निवासी ग्राम परसामऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री रामनरेश मय हमराह हे0कां0 प्रेमपाल यादव, कां0 राजकुमार सिंह द्वारा, मु0अ0सं0 321/24 धारा 109, 115(2), 131, 351(2) बी0एन0एस0 में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 01 वांछित अभियुक्त सबलू सहगल उर्फ हिन्दराज पुत्र रामभरोस निवासी ग्राम सगरासुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लीलापुर के लक्ष्मणपुर रोड़ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद लोहे की राड़ बरामद किया गया।

थाना कोतवाली देहात से 07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री दीपक कुमार मय हमराह हे0कां0 अशरफ अली द्वारा, मु0अ0सं0 317/24 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(2), 109, 324(4) बी0एन0एस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 07 वांछित अभियुक्तों को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के खादी गोदाम ग्राम खजोरी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. आकाश पुत्र कमलेश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
02. विशाल यादव पुत्र जयन्ती उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
03. विकराल पुत्र विकास चन्द्र यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
04. अंकुश यादव पुत्र हरिकेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
05. प्रदीप यादव पुत्र रामकरन यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
06. अमन पुत्र अवधेश यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
07. प्रमोद पटेल पुत्र बट्टी प्रसाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भुसरौली भुवालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री श्यामसुन्दर गिरि, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा कां0 अभिनव नारायण सिंह, कां0 अभिषेक यादव द्वारा, मु0अ0सं0 281/2024 धारा 318(4), 64, 115(2) बी0एन0एस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 01 वांछित अभियुक्त रवि कुमार उर्फ राजू पुत्र कनिकलाल निवासी ग्राम कुन्दनपुर रोड़ चैक बाजार पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र पट्टी के कलियनापुर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/24 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25000/- रुपये का इनामियां अभियुक्त हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को स्वाट टीम प्रतापगढ़ व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर हिमांशु पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम रूपापुर पर गम्भीर धाराओं में थाना कोतवाली देहात व कोतवाली नगर में दर्ज हैं अभियोग।

थाना कन्धई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 243/24 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

लूट/ दुष्कर्म / मारपीट / जान से मारने की धमकी / हत्या का प्रयास/ गोवध अधि०/ बलवा / सरकारी कार्य में बाधा डालने / आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर सद्दाम खान पुत्र अलेमान खान निवासी ग्राम राहटीकार कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ पर गम्भीर धाराओं में थाना उदयपुर, थाना लालगंज व थाना कंधई में दर्ज हैं अभियोग

अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कुल 25 वारण्टी अभियुक्तों व कुल 09 वांछित अभियुक्तों व कुल 02 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

सोशल मीडिया सेल

जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.12.2023 को थानाक्षेत्र लालगंज अंतर्गत ग्राम पूरे अनरुद्ध में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के मध्य मारपीट में वादी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 443/2023 धारा 3002, 147, 148, 323, 506 भादवि बनाम 04 नामजद अभियुक्त व 02-03 अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव मय हमराह उ०नि० सुनील कुमार यादव, कां० कमलेश कुमार, कां० गणेश यादव द्वारा अभियुक्त सोनू यादव पुत्र जटाशंकर यादव निवासी ग्राम ओझा का पुरवा पूरे अनरुद्ध थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.09.2024 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सोनू यादव पुत्र जटाशंकर यादव को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु०अ०सं० 443/2023 धारा 304 भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोनू यादव पुत्र जटाशंकर यादव निवासी ग्राम ओझा का पुरवा पूरे अनिरुद्ध थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव मय हमराह उ0नि0 सुनील कुमार यादव, कां0 कमलेश कुमार, कां0 गणेश यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

मारपीट/ गाली गलौज, हत्या के प्रयास के अभियोग में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत खादी गोदाम ग्राम खजोरी के पास से 07 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को अजय सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह निवासी ग्राम दसरथपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज, वादी व वादी के साथियों के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो, लोहे की रॉड से मारपीट करने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 317/24 धारा 191(2), 191(3),115(2),352,351(2), 324(4), 109 बी0एन0एस0 बनाम 10 नामजद अभियुक्त व 8-10 अभियुक्त अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उ0नि0 सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्यंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, का0 विजय बहादुर, का0 प्रवीण कुमार, का0 पंकज कुमार, का0 आशुतोष तिवारी, का0 इग्लेश यादव, का0 अनुज यादव, का0 कमलेश, का0 विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 317/24 धारा 191(2), 191(3),115(2),352,351(2), 324(4), 109 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त 01-आकाश पुत्र कमलेश निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 02-विशाल यादव पुत्र जयन्ती निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 03-विकराल पुत्र विकास चन्द्र यादव निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 04-अंकुश यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 05-प्रदीप यादव पुत्र रामकरन यादव वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना

कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 06-अमन पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 07- प्रमोद पटेल पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम भुसरौली भुवालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के क्षेत्रान्तर्गत खादी गोदाम ग्राम खजोरी के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. आकाश पुत्र कमलेश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
02. विशाल यादव पुत्र जयन्ती उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
03. विकराल पुत्र विकास चन्द्र यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
04. अंकुश यादव पुत्र हरिकेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
05. प्रदीप यादव पुत्र रामकरन यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
06. अमन पुत्र अवधेश यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
07. प्रमोद पटेल पुत्र बट्टी प्रसाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भुसरौली भुवालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 मृत्यंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, का0 विजय बहादुर, का0 प्रवीण कुमार, का0 पंकज कुमार, का0 आशुतोष तिवारी, का0 इग्लेश यादव, का0 अनुज यादव, का0 कमलेश, का0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

जनपद वासियों से अपील की जाती है कि किसी भी व्यक्ति पर भ्रमता/संदिग्धता मिलने पर स्वयं प्रतिक्रिया न करे । स्थानीय पुलिस को तत्काल/अविलम्ब सूचना दे पुलिस द्वारा विधि संगत कार्यवाही की जायेगी ।

डॉ0 अनिल कुमार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़,

थाना कुण्डा - जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

पैसा लेकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले जनपदीय गैंग लीडर/गैंग के सदस्य, कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुण्डा में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत।

इम्तियाज उर्फ कल्लू, कुलदीप कुमार केशरवानी, सरिता सरोज, हत्या, गैंगस्टर जैसे जघन्य अपराध में हैं संलिप्त

अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य है भय और आतंक का माहौल

जनपद प्रतापगढ़ में अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है जिनके गैंग का लीडर है इम्तियाज उर्फ कल्लू

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- इम्तियाज उर्फ कल्लू पुत्र मुमताज निवासी ग्राम जलालपुर डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, (गैंग सदस्य) 2- कुलदीप कुमार केशरवानी निवासी ग्राम जलालपुर डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ 03. सरिता सरोज पत्नी संतोष सरोज निवासी ग्राम डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 22.09.2024 को मु0अ0सं0 276/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं भय का आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग का लीडर/ सदस्य पर जनपद के थाना कुण्डा प्रतापगढ़ में हत्या, जैसे अभियोग पंजीकृत हैं।

इस गिरोह का लीडर इम्तियाज उर्फ कल्लू व (सदस्य) कुलदीप केशरवानी व सरिता सरोज द्वारा दिनांक 07.06.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत नहर की पक्की पटरी ग्राम जमेठी के पास एक व्यक्ति करुणेश कुमार उर्फ मम्मन निवासी ग्राम डिहवा जलालपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले की गला काटकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 168/2024 धारा 302 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ।

आपराधिक इतिहास:- (गैंग लीडर) 1- इम्तियाज उर्फ कल्लू पुत्र मुमताज निवासी ग्राम जलालपुर डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0स0 168/2024 धारा 302 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 276/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

(गैंग के सदस्य) 2- कुलदीप कुमार केशरवानी निवासी ग्राम जलालपुर डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 168/2024 धारा 302 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 276/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

(गैंग के सदस्य) 3- सरिता सरोज पत्नी संतोष सरोज निवासी ग्राम डिहवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 168/2024 धारा 302 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 276/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।